संख्या 111 /2022 / 432 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय:- राज्य संग्रहालय लखनऊ के चार पार्श्व गैलरियों के पहुॅच मार्ग, ट्वायलेट ब्लाक, विद्युत आदि कार्यो की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1479/उ0प्र0सं0नि0-1(170)/2021-22 दिनांक 22 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. निदेशक, संग्रहालय निदेशालय के प्रस्तावानुसार कन्सलटेंट की सेवायें प्राप्त किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 242/2021/2379/चार-2021 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 को निरस्त किया जाता है।

3. उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संग्रहालय निदेशालय के प्रस्ताव के क्रम में राज्य संग्रहालय लखनऊ के चार पार्श्व गैलरियों के पहुॅच मार्ग, टवायलेट ब्लाक, विद्युत आदि कार्यो हेतु शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2021 द्वारा निर्गत रू0 54.95 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अंतिम किश्त के रूप में रू0 27.47 लाख (रूपये सत्ताइस लाख सैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या- 184/2021/2098/चार-2021 दिनांक 16 नवम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संग्रहालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संग्रहालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संग्रहालय निदेशालय लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय, उ0प्र0 संग्रहलय निदेशालय लखनऊ मद से वहन किया जाएगा।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 111 /2022 / 432(1) /चार-2022 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराजा
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।